

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-807 / 2012

संस्थित दिनांक-04.10.2012

फाई.क.234503002002012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

बसन्त टेकाम पिता सन्तूलाल, उम्र-29 वर्ष,
 निवासी-कोंहका थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 19/01/2018 को घोषित)

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(06-बार) का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-31.07.2012 को दिन के 2:00 बजे रेवती नाला के उपर ग्राम गढ़ी, थाना गढ़ी अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी. 50/टी-0326 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुए वाहन 407 क्रमांक- एम.पी. 50/जी-0734 को ठोस मारी जिससे उसमें बैठे आहतगण देवकी, सुरेश कुमार, ईश्वरीबाई, सम्हारुबाई, दुर्गाबाई, प्रभुसिंह को साधारण उपहति कारित की।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी युवराज धुर्वे दिनांक 31.07.2012 को दिन के करीब 02:00 बजे 407 वाहन क्र. एम.पी.50-0734 को चलाते हुए जैतपुरी से वाहन में करीब छः आठ सवारी बैठाकर गढ़ी आ रहा था। रेवतीनाला के पास पहुंचा था कि सामने से बुलेरो वाहन क्रमांक एम.पी. 50/टी-0326 का चालक वाहन को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए जैतपुरी तरफ जा रहा था। फरियादी ने गाड़ी और सवारी को बचाया था तो बुलेरो के चालक ने दाहिने तरफ सामने से फरियादी के वाहन को टक्कर मार दी थी। जिससे गाड़ी पलटी गयी थी। गाड़ी में बैठी सवारी देवकीबाई, सुरेश कुमार, ईश्वरीबाई, सम्हारुबाई, दुर्गाबाई, प्रभुसिंह को चोट आई थी। आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराकर जांच उपरांत पुलिस थाना गढ़ी ने अपराध क्रमांक-45/2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

3- अभियुक्त को तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई गई थी तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-31.07.2012 को दिन के 2:00 बजे रेवती नाला के उपर ग्राम गढ़ी थाना गढ़ी अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50/टी-0326 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाते हुये वाहन 407 क्र. एम.पी. 50/जी- 0734 को ठोस मारी जिससे उसमें बैठे आहतगण देवकी, सुरेश कुमार, ईश्वरीबाई, सम्हारूबाई, दुर्गाबाई, प्रभुसिंह को साधारण उपहति कारित की ?

विवचेना एवं निष्कर्ष

6- प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण दोनों विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7- युवराज धुर्वे अ.सा.01 का कथन है कि घटना दिनांक को वह उसके 407 वाहन से जैतपुरी से गढ़ी जा रहा था। घटना दिनांक को उसका वाहन 407 रेवतीनाला का घाट चढ़ रहा था। सामने से बुलेरो वाहन तेजी से आ रहा था। उस समय साक्षी ने वाहन को साईड में ले लिया था। बुलेरो वाहन के चालक ने वाहन को टक्कर मार दी थी जिससे साक्षी का वाहन पलट गया था। साक्षी ने बुलेरो वाहन के चालक को नहीं देखा था। घटना बुलेरो वाहन के चालक की गुलती से हुई थी। साक्षी के वाहन में तीन-चार व्यक्ति बैठे हुए थे। दुर्घटना में साक्षी को कोई चोट नहीं आयी थी। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना गढ़ी में की थी। पुलिस ने साक्षी की निशांदाही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र. पी.02 बनाया था। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

8— देवकीबाई अ.सा.02, दूजाबाई अ.सा.03 का कथन है कि घटना उनके न्यायालयीन कथनों से दो-तीन वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को साक्षीगण चार पहिया वाहन में बैठकर गढ़ी बाजार से वापस आ रहीं थी। वाहन रेवतीनाला के पास पहुंचा था, सामने से आ रहे मार्शल वाहन ने साक्षीगण के वाहन को टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से साक्षीगण का वाहन पलट गया था। सामने से आ रहे वाहन को कौन चला रहा साक्षीगण को पता नहीं है। साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें पता नहीं है कि घटना किसकी गलती से हुई थी।

9— सम्हारोबाई अ.सा.04 का कथन है कि घटना दिनांक को वह मेटाडोर में बैठकर गढ़ी बाजार जा रही थी। जिसे मेटाडोर का मालिक संतोष चला रहा था। वाहन रेवतीनाला के पास पहुंचा था तभी सामने से एक जीप आ रही थी जिसे बचाने में साक्षी का वाहन नदी के पास पलट गया था। जिससे साक्षी को बख्खे में चोट आयी थी। दुर्घटना मेटाडोर चालक की गलती से हुई थी। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मेटाडोर को सामने से तेज गति से आ रही जीप ने टक्कर मार दी थी। साक्षी ने उसकी साक्ष्य में यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्र.पी.04 में अभियुक्त की लापरवाही से घटना घटित होने वाली बात बतायी थी। साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि जीप के चालक का नाम बसंत तेकाम था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सामने से कौन सा वाहन आ रहा था उसने नहीं देखा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन में मेटाडोर वाहन का नम्बर नहीं बताया था। साक्षी ने सुझाव में यह बताया है कि मेटाडोर का चालक तेज गति से वाहन चला रहा था। दुर्घटना मेटाडोर चालक की गलती से हुई थी।

10— ईश्वरीबाई अ.सा.05, सुरेश अ.सा.06 का कथन है कि घटना वर्ष 2012 की दिन के करीब दो बजे की ग्राम निवास की है। साक्षीगण को पिकअप वाहन चलाने वाले ड्रायवर का नाम पता नहीं है। वाहन तेजी से चल रहा था। साक्षीगण को वाहन का नम्बर भी पता नहीं है। घटना में ईश्वरीबाई को बायीं आंख और छाती में एवं सुरेश को बायें हाथ के पंजे में चोट लगी थी। पुलिस ने साक्षीगण का मेडिकल परीक्षण कराया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें घटना की तारीख याद नहीं है। साक्षीगण वाहन में पीछे बैठी थी इस

कारण उन्हें गाड़ी की रफतार पता नहीं है। उक्त दुर्घटना में वाहन चालक की कोई गलती नहीं थी। वाहन में तकनीकी खराबी आने से वाहन पलटा हो तो साक्षीगण को पता नहीं है।

11— प्रभू अ.सा.07 का कहना है कि घटना वर्ष 2012 की ग्राम निवास की दिन के करीब बाहर—एक बजे की गढ़ी बाजार के दिन की है। पिकअप वाहन ग्राम निवास के पास पलट गया था। वाहन में वह भी बैठा था। गाड़ी धीमी गति से चल रही थी। पिकअप कौन चला रहा था, ड्रायवर कौन था, वाहन का नम्बर क्या था, साक्षी को पता नहीं है। घटना में साक्षी के दाहिने जांघ में चोट लगी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे घटना की तारीख पता नहीं है। उक्त दुर्घटना में वाहन चालक की कोई गलती नहीं थी। वाहन में कोई तकनीकी खराबी आने से वाहन पलट गया हो तो साक्षी को पता नहीं है।

12— आर.के.चतुर्वेदी अ.सा.10 का कथन है कि वह दिनांक 31.07.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को पुलिस थाना गढ़ी से आरक्षक खयालसिंह आहत कु. देवकी, सुरेशकुमार, ईश्वरीबाई, समारुबाई, दुर्गाबाई, प्रभुसिंह को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। चिकित्सक ने आहत देवकीबाई को मेडिकल परीक्षण में—चोट क्र01—एक मुदी हुई चोट एक इंच गुणा एक इंच बायीं जांघ पर पायी थीं जो रोड साईड एक्सीडेंट की थी। चिकित्सक के अभिमत में आहत को ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया था। उसके बायें जांघ के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। उक्त चोट किसी सक्त व बोथरे हथियार से पहुँचाई गयी थी जो परीक्षण के 6 से 8 घण्टे के अंदर की थी। चिकित्सक की परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 है जिसके ए से ए भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं। एक्सरे प्लेट क्र 408 का परीक्षण करने पर कु.देवकी की बायीं जांघ की हड्डी में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। प्र. पी.09 की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट में चिकित्सक के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। चिकित्सक ने आहत सुरेश को मेडिकल परीक्षण में चोट क्र01—एक मुदी हुई चोट आधा इंच गुणा आधा इंच दाये कलाई पर पायी थी। चिकित्सक ने आहत ईश्वरीबाई की मेडिकल परीक्षण में चोट क्र01—एक मुदी हुई चोट आधा इंच गुणा आधा इंच कमर के पीछे भाग में पायी थी। आहत समारुबाई का मेडिकल परीक्षण करने पर चोट क्र01—एक मुदी हुई चोट आधा इंच गुणा आधा इंच बायें कंधे पर पायी थी। आहत दुर्गाबाई को परीक्षण करने पर चोट क्र01—एक कटा फटा घाव दाये हाथ पर जिसका आकार एक इंच गुणा एक इंच पाया था। चिकित्सक ने आहत प्रभुसिंह को मेडिकल परीक्षण करने पर निम्न उपहतियां पायी थी—चोट क्र01—एक खरौंच आकार एक इंच गुणा एक इंच की थी जो चमड़ी तक दायें

कुल्हें में थी, चोट क्र02— एक मुदी हुई चोट आधा इंच गुणा आधा इंच सिर के सामने वाले भाग में थी, चोट क्र03— एक मुदी हुई चोट बायें पैर में आधा इंच गुणा आधा इंच की थी।

13— चिकित्सक आर.के.चतुर्वेदी अ.सा.10 के अभिमत में आहत सुरेश, ईश्वरीबाई, समारूबाई, दुर्गाबाई एवं प्रभुसिंह की चोटें साधारण प्रकृति की होकर सक्त एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी गयी होकर, मेडिकल परीक्षण करने के छः से आठ घण्टे के अंदर की थी एवं उक्त आहतगण की चोटें रोड एक्सीडेंट की थीं। उक्त आहतगण की चोटें सात दिन के अंदर ठीक हो सकती थी। आहतगण की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.10 लगा. प्र.पी.14 है जिनके ए से ए भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने यह स्वीकार किया है कि आहतगण को उक्त चोटें खुरदुरे स्थान पर गिरने से आ सकती थीं। आहतगण की चोटें सामान्य प्रकृति की थीं।

14— दिनेशपाल सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.09 का कथन है कि दिनांक 31.07.2012 को फरियादी युवराज धुर्वे ने पुलिस थाना गढ़ी में आकर वाहन दुर्घटना के संबंध में वाहन चालक एवं बुलेरो वाहन क्र एम.पी.50/टी-0326 के संबंध में मौखिक रिपोर्ट की थी। उसके आधार पर साक्षी ने वाहन चालक के विरुद्ध प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। साक्षी ने दिनांक 02.08.2012 को घटनास्थल पर फरियादी के बताये अनुसार स्थान पर पहुंचकर फरियादी व अन्य गवाह के समक्ष नक्शा मौका प्र.पी.02 तैयार किया था। साक्षी ने गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने रेवतीनाला घटनास्थल से गवाह गुड्डू एवं अशोक के समक्ष एक बुलेरो वाहन क्र. एम.पी.50/टी-0326 मय रजिस्ट्रेशन एवं टेक्सी परमिट के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था एवं अभियुक्त को प्र.पी.06 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था। साक्षी ने वाहन का परीक्षण कराया था।

15— अशोक अग्निहोत्री अ.सा.08 का कथन है कि पांच वर्ष पूर्व उसके समक्ष रेवतीनाला से बुलेरो वाहन मय रजिस्ट्रेशन, परमिट सहित प्र.पी.05 के जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त किया था। अभियुक्त को प्र.पी.06 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था। साक्षी ने बुलेरो वाहन क्र एम.पी.50/टी-0326 का मैकेनिकल परीक्षण किया था परीक्षण करने पर गाड़ी की बाडी, साईड पैनल, आर.एच.एस. फेसिया, बम्पर, हेडलाईट सेट टूटे हुए पाये थे। बांकी गाड़ी ठीक हालत में थी। साक्षी द्वारा तैयार की गयी मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिस पर साक्षी का नाम लिखा है। साक्षी को बीस वर्षों से चार पहिया वाहन का अनुभव है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि प्र.पी.06 लगा. 07 के दस्तावेजों

की कार्यवाही थाने में की गयी थी। साक्षी का घर गढ़ी थाना के सामने है। कोई प्रकरण हो जाता है तो पास में रहने के कारण पुलिस वाले बुला लेते हैं। प्र.पी.05 की जप्ती कार्यवाही पहले कर ली थी उसके बाद साक्षी ने हस्ताक्षर किये थे। घटना पुरानी होने के कारण साक्षी को घटना के बारे में कुछ पता नहीं है। उक्त साक्षी ने उसकी साक्ष्य से प्र.पी.07 की मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

16— प्रश्नाधीन प्रकरण का युवराज धुर्वे अ.सा.01 फरियादी है। युवराज धुर्वे ने घटना कारित करने वाले वाहन को नहीं देखा था। फरियादी ने घटना के संबंध में अभियुक्त का नाम नहीं बताया है। देवकीबाई अ.सा.02, दूजाबाई अ.सा.03, ईश्वरीबाई अ.सा.05, सुरेशकुमार अ.सा.06, प्रभू अ.सा.07 प्रकरण के आहतगण हैं। परंतु उक्त साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि प्रश्नाधीन प्रकरण की घटना अभियुक्त ने कारित की थी। इन साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में घटना के संबंध में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित नहीं की है एवं घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर एवं वाहन की गति के बारे में नहीं बताया है। इस कारण उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है।

17— सम्हारू अ.सा.04 ने उसकी साक्ष्य में जीप से घटना होने के बारे में बताया है एवं यह बताया है कि जीप की गति तेज थी परंतु प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि घटना बुलेरो वाहन से हुई थी। जीप एवं बुलेरो वाहन में अंतर होता है। सम्हारू की साक्ष्य में घटना कारित करने वाले वाहन के संबंध में विरोधाभास है। सम्हारू ने उसकी साक्ष्य में घटना कारित करने वाले वाहन का नम्बर नहीं बताया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय सामने से कौन सा वाहन आ रहा था एवं उसे कौन चला रहा था साक्षी ने नहीं देखा था। साक्षी ने पक्ष विरोधी होने के बाद सुझाव में जीप चालक का नाम बसंत टेकाम होने से इंकार किया है। जबकि प्रकरण के अभियुक्त का नाम बसंत टेकाम है ऐसी स्थिति में उक्त सम्हारू की साक्ष्य से भी प्रकरण की घटना का समर्थन नहीं होता है। प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन के नम्बर में काटापीटी की गयी है। इससे प्र.पी.05 के जप्ती पत्रक में जप्त वाहन के द्वारा घटना करने के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है। प्रकरण के फरियादी एवं आहतगण की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध प्रश्नाधीन प्रकरण की घटना प्रमाणित नहीं मानी जाती है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन क्रमांक एम.पी.50/टी-0326 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन से वाहन 407 क्रमांक-एम.पी.

50/जी-0734 को टक्कर मारकर उसमें बैठे आहतगण देवकी, सुरेश कुमार, ईश्वरीबाई, सम्हारूबाई, दुर्गाबाई, प्रभुसिंह को उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(06-बार) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19- अभियुक्त का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

20- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)